

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास/पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2021

विषय:- दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि प्रति माह भरण-पोषण भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को धनराशि रु0 1000/- प्रति परिवार फिलहाल एक माह के लिए दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। यह धनराशि उन्हें दिये जा रहे निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगी।

2. पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग हेतु जिला स्तरीय कमेटी-

टेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि तथा प्रवासियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीडिंग तथा ₹ 1000/- की धनराशि डी0बी0टी के माध्यम से अन्तरित किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नवत जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|--------------|
| 1- | जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2- | मुख्य विकास अधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| 3- | अपर जिलाधिकारी (राहत इन्चार्ज) | - | सदस्य |
| 4- | मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी | - | सदस्य |
| 5- | नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी | - | सदस्य |
| 6- | नगर मजिस्ट्रेट | - | सदस्य |
| 7- | जिला पूर्ति अधिकारी | - | सदस्य |
| 8- | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) | - | तकनीकी सदस्य |

उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों में से हलवाई की पात्रता का चयन अत्यन्त ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जी0एस0टी0 की परिधि में न आने वाले हलवाई ही पात्र होंगे। धोबी श्रेणी में ड्राई क्लीनर दुकानदार पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होंगे। परम्परागत रूप से कार्य करने वाले धोबी आदि जो अपनी रोजी-रोटी के लिए दैनिक कार्य करते हैं, वे ही इसके पात्र होंगे।

3. उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीडिंग तथा धनराशि के अन्तर्गत हेतु सम्बन्धित विभागों के दायित्व निम्नवत होंगे:-

➤ नगर विकास विभाग का दायित्व-

- (1) नगरीय क्षेत्रों में टेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार सहित नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं संकलित डाटा राहत आयुक्त

कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड कराने के लिए नगर आयुक्त/अधिकांसी अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।

- (2) नोडल अधिकारी पात्र व्यक्तियों का डिटेल्ड यथा नाम, पिता का नाम, पता, आयु, व्यवसाय, व्यवसाय स्थल का पता, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या आदि विवरण स्वयं सत्यापित करने के उपरान्त वेबसाइट पर फीड करायेंगे।
- (3) नोडल अधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीडेड डाटा के अतिरिक्त अन्य किसी डाटा के आधार पर लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण नहीं किया जायेगा।

➤ पंचायती राज विभाग का दायित्व-

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पत्तेदार, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं संकलित डाटा राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड कराने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।
- (2) नोडल अधिकारी अपने विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के माध्यम से डाटा प्राप्त कर, उसको सत्यापित करने के उपरान्त वेबसाइट पर फीड करायेंगे।
- (3) नोडल अधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीडेड डाटा के अतिरिक्त अन्य किसी डाटा के आधार पर लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण नहीं किया जायेगा।

➤ राजस्व विभाग का दायित्व-

- (1) प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों के साथ ही नाविकों का डाटा संकलन कर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड कराने के लिए अपर जिलाधिकारी (राहत इंचार्ज) नोडल अधिकारी होंगे।
- (2) नोडल अधिकारी क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से डाटा संकलित कराकर उसको सत्यापित करने के उपरान्त वेबसाइट पर फीड करायेंगे।
- (3) नोडल अधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) राहत आयुक्त की वेबसाइट पर फीडेड डाटा के अतिरिक्त अन्य किसी डाटा के आधार पर लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण नहीं किया जायेगा।

4. प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों को रू0 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना-

वर्ष 2020-21 में लाकडाउन अवधि में प्रदेश में आये प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों को रू0 1000/- प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित की गयी थी। गतवर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों को रू0 1000/- प्रति परिवार डी0बी0टी के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित किया जाना है। कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ट्रेनों/बसों/अन्य साधनों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों का डाटा राहत की वेबसाइट पर फीड किये जाने के निर्देश शासन के पत्र संख्या-319/एक-11-2021 दिनांक 23.04.2021 एवं पत्र संख्या-323/एक-11-2021 दिनांक 04.05.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों के साथ ही नाविकों का डाटा भी संकलित कर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड किया जाना है।

5. अन्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना:-

उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों को उक्तानुसार धनराशि देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। इस सम्बन्ध में शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्वन्धित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-698

/नौ-9-2020-58ज/20, दिनांक 21.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी। उपर्युक्त अधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी उक्त सूची के अनुसार लाभार्थियों की फीडिंग राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों की जाँच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-425/38-7-2020, दिनांक 23.03.2020 के अनुसार जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगी। उपर्युक्त अधिकारी यह प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी उक्त सूची के अनुसार लाभार्थियों की फीडिंग राहत आयुक्त की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।

6. डाटा संकलन हेतु निर्धारित प्रारूप:-

पात्र व्यक्तियों के डाटा संकलन एवं धनराशि प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें पात्र व्यक्तियों का डिटेल्ड यथा नाम, पिता का नाम, पता, आयु, व्यवसाय, व्यवसाय स्थल का पता, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या आदि सम्मिलित होंगे। पात्र लाभार्थियों का विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड किया जायेगा। पारदर्शिता एवं स्वच्छ कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राहत डाटाबेस तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। (प्रारूप संलग्नक-1)

7. धनराशि के अन्तरण की विधि:-

राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in को कोषागार के ई-कुबेर से इन्टीग्रेट करके बिना मैन्युअल इण्टरवेंशन के धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-कुबेर के माध्यम से जिलाधिकारियों द्वारा अन्तरित किया जायेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर से किया जायेगा परन्तु निर्धारित तिथि में धनराशि

अन्तरण का कार्य सभी जनपदों में एक साथ किया जायेगा। धनराशि अन्तरण के लिये निर्धारित तिथि की सूचना जनपदों को यथासमय अलग से दी जायेगी।

8. कार्य पूर्ण करने की सीमा अवधि:-

सभी पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय ताकि ससमय उनके बैंक खातों में धनराशि का प्रेषण जनपद कोषागार से ई-कुबेर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

9. सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना-

नगरीय क्षेत्र में नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अन्य श्रमिकों के सन्दर्भ में नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी एवं अधिशाली अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि उनके द्वारा डाटा का सत्यापन कर लिया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं पात्र व्यक्तियों को ही सूची में सम्मिलित किया गया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर अपलोड कराया जायेगा।

10. सभी लाभार्थियों को धनराशि कोषागार से ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से अन्तरित की जानी है अतएव जिन पात्र लाभार्थियों का बैंक खाता नहीं है वहां प्राथमिकता पर बैंक खाता खुलवाकर इनके डाटा भी राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कर ली जाय। इस सम्बन्ध में विभागों से सम्बन्धित अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थियों का सही-सही विवरण राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर अपलोड किया गया है एवं वेबसाइट से जेनरेटेड सूची के आधार पर ही जनपद कोषागार के ई-कुबेर प्रणाली से धनराशि प्रेषित की गयी है।

12. जनपदों को आवंटित की जा रही अग्रिम धनराशि का आवंटन अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05 स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड-800 अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रिसपांस फण्ड-09 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य

आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय मद में किया जा रहा है, जिसके लिये पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

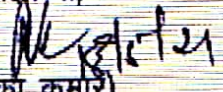
कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

सख्या-347(1)/एक-11-2021 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
9. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिणुका कुमारी)
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-347/एक-11-2021 दिनांक मई, 2021

का संलग्नक-1

प्रारूप

[illegible]